राजद्रोह पर बहस

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।। (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

01 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''हालांकि, धारा 124-ए को पूरी तरह से कायाकल्प की आवश्यकता है, लेकिन इसे रद्द कर देना अधिक बेहतर साबित होगा।''

शासक कहीं का भी हो वो हर जगह असंतोष और निष्ठा को उत्तेजित करने के प्रयासों का विरोध करता है और उसका निदान करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि औपनिवेशिक शासन के तहत अधिनियमित भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, लॉ बुक पर अभी तक कायम है।

हालांकि, इसके दुरुपयोग के कई उदाहरण मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं, विरोधियों, लेखकों और यहां तक कि कार्टूनिस्टों के खिलाफ धारा को बुलाए जाने के बाद केंद्र और राज्यों में शासन को अक्सर खराब दिखाया जाता है।

स्वतंत्रता के पहले, कई ने इस प्रावधान को बनाए रखने की विडंबना देखी है जिसका उपयोग स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था।

इन सबके बावजूद, धारा 124-ए ने लगातार पीढ़ियों द्वारा इसे पुनर्विचार करने के सभी प्रयासों को दृढ़ता से बचाया गया है। पिछले पांच दशकों में तीसरी बार कानून आयोग, अब धारा की समीक्षा करने की प्रक्रिया में सामने आई है।

इसका परामर्श पत्र पूरी तरह से पुनर्विचार की मांग करता है और जनता से पहले राष्ट्रीय बहस के लिए विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत करता है।

विशेष रूप से, इस बार एक प्रासंगिक सवाल यह उठाया गया कि: जहाँ एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए इस कानून को भारत ने बरकरार रखा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने इसे 10 साल पहले समाप्त कर दिया था, क्या यह उचित है?

वर्ष 1968 में एक रिपोर्ट में, कानून आयोग ने इस धारा को रद्द करने के विचार को खारिज कर दिया था। 1971 में, पैनल चाहता था कि कानून द्वारा स्थापित सरकार के अलावा संविधान, विधायिका और न्यायपालिका को कवर करने के लिए भी इस धारा का विस्तार किया जाए, क्योंकि इन संस्थानों के खिलाफ 'असुरक्षा' को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

धारा में निर्धारित दो कारावास शर्तों (या तो तीन साल या आजीवन कारावास) के बीच व्यापक अंतर को संशोधित करना और जुर्माने के साथ सात साल की कठोर कारावास में अधिकतम स्वीकृति को ठीक करना था।

राजद्रोह पर प्रावधान के लिए सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। इस तरह कि परिभाषा आम तौर पर निर्दोष और हानिकारक दोनों को शामिल कर लेती है।

वर्तमान कानून के तहत, सरकारी नीतियों और व्यक्तियों के खिलाफ मजबूत आलोचना, नारे की अस्वीकृति की आवाज उठाने और अनुत्तरदायी या असंवेदनशील शासन के चित्रण को उठाने वाले सभी नारे को 'राजद्रोह' के रूप में माना जा सकता है।

वास्तव में, हाल ही के वर्षों में कुछ मुकद्मे हुए हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल सिद्धांत का अनुकरण किया गया है कि हिंसा या उत्तेजना को सार्वजनिक विकार बनाने की प्रवृत्ति अपराध के आवश्यक तत्व हैं, जिसे हम भूल गए हैं।

हालांकि, जब तक सार्वजनिक आदेश को संरक्षित करने के आधार पर राजद्रोह को मुक्त भाषण पर उचित प्रतिबंध के रूप में देखा जाता है, तब तक इसे हटाना मुश्किल होगा।

नागरिकों को हुए मौलिक अधिकारों के नुकसान को पूर्ववत करने के केवल दो तरीके हो सकते हैं: इसे संशोधित किया जाए ताकि राजद्रोह का गठन करने की बहुत कम परिभाषा हो, लेकिन इससे बेहतर तरीका यह है कि इसे पूरी तरह से निरस्त ही कर दिया जाए।

* * *

आईपीसी धारा-124 (A)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी राष्ट्रद्रोह कानून पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
- जिसमें आयोग ने कहा कि देश या उसके किसी पहलू या सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता।
- किसी व्यक्ति के विचार सरकार की वर्तमान नीतियों से मेल नहीं खाने के कारण उसपर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व वाले विधि आयोग ने कहा है कि राष्ट्रद्रोह कानून को सिर्फ वैसे मामलों में ही लगाया जाना चाहिए, जिनमें किसी काम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बिगाड़ना या फिर हिंसा या अन्य अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकना हो।

क्या है?

- आईपीसी की धारा 124 (A) के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिन पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने का आरोप होता है।
- जेएनयू छात्रसंघ के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को आईपीसी की धारा 124 (A) के तहत देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्या है देशद्रोह?

- भारतीय कानून संहिता यआईपीसीद्ध की धारा 124 (A) में देशद्रोह की दी परिभाषा के मुताबिक हुई।
- अगर कोई भी व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है।
- ऐसी सामग्री का समर्थन करता है।
- राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीच दिखाने की कोशिश करता है।
- अपने लिखित या फिर मौखिक शब्दों, या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाने या फिर असंतोष जाहिर करता है।
- ते उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है।

इतिहास

- देशद्रोह पर कोई भी कानून 1859 तक नहीं था, इसे 1860 में बनाया गया और फिर 1870 में से आईपीसी में शामिल कर दिया गया।
- सैडीशन लॉ यानि देशद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार की देन है। आजादी के बाद इसे भारतीय संविधान ने अपना लिया

सबसे पहले इस्तेमाल-

- 1870 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रितानी सरकार ने बाल गंगाधार तिलक के खिलाफ किया था।

इन पर हुआ है लागू

- 1870 में बने इस कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गाँधी के खिलापफ वीकली जनरल में 'यंग इंडिया' नाम से आर्टिकल लिखे जाने की वजह से किया था। यह लेख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा गया था।
- बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर 1962 में राज्य सरकार ने एक भाषण के मामले में देशद्रोह के मामले में केस दर्ज किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
- केदारनाथ सिंह के केस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की एक बेंच ने भी आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था। 'देशद्रोही भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जा सकता है। जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े।
- 2010 को बिनायक सेन पर नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन पर केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी लेकिन विनायक सैन को 16 अप्रैल, 2011 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई थी।
- 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को उनकी साइट पर संविधान से जुड़ी भद्दी और गंदी तस्वीरें पोस्ट करने की वजह से इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया।
- यह कार्टून उन्होंने मुंबई में 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए एक आंदोलन के समय बनाए थे।
- 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु प्लांट का विरोध करने वाले 7 हजार ग्रामीणों पर देशद्रोह की धराएं लागई थी।
- 2015 में हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार से पहले गुजरात में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल को गुजरात पुलिस की ओर से देशद्रोह के मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था।

विरोध क्यों?

- देशद्रोह के कानून को लेकर संविधान में विरोधाभास भी है, जिसे लेकर अक्सर विवाद उठते रहे हैं।
- दरअसल, जिस संविधान ने देशद्रोह को कानून बनाया है, उसी संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्राता को भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया गया है।
- मानवाधिकार और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता इसी तर्क के साथ अपना विरोध् जताते रहे हैं और आलोचनाएं करते रहे हैं।
- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि देशद्रोह से जुड़े कानून की आड़ में सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की कड़ी आलोचना होती रही है और इस बात पर बहस छिड़ी है कि अंग्रेजों के जमाने

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. देशद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. राष्ट्रीय विधि आयोग देश या उसके किसी पहलू या सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है।
   2. जस्टिस चौहान के नेतृत्व में गठित विधि आयोग के अनुसार किसी कार्य का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बिगाड़ना या फिर हिंसा या अन्य अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकना, के नियत को राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से भारतीय दण्डसंहिता की कौन-सी धारा राष्ट्रद्रोह से संबंधित है?
   (a) 124A
   (b) 128B
   (c) 121A
   (d) 420A

3. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है?
   (a) यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है।
   (b) राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करके संविधान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है।
   (c) यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री का समर्थन करता है।
   (d) उपर्युक्त सभी

1. **Consider the following statements regarding sedition-**
   1. According to the Law Commission criticising the nation or any of its unit on the government and its policies comes under sedition.
   2. According to the committee headed by Justice Chauhan any activity intended to disrupt the law and order or incite voilence or try to uproat the government through any unjust methods should be considered sediton.

   Which of the above statements is/are correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

2. **Which of following section of Indian Penal Code is related to sedition?**
   (a) 124A
   (b) 128B
   (c) 121A
   (d) 420A

3. **Which of the following activity comes under sedition according to Indian Penal Code-**
   (a) If anyone writes or speaks government opposing material
   (b) Humiliating Constitution by insulting national symbols
   (c) If anyone supports government opposing material
   (d) All of the above

नोट :
31 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. देशद्रोह को परिभाषित कीजिए। भारतीय दण्ड संहिता की देशद्रोह से संबंधित प्रावधान का दुरुपयोग प्रायः देखने को मिलता है। क्या इस प्रावधान को समाप्त कर देना बेहतर होगा? तर्कसहित उत्तर दीजिए। (250 शब्द)
Define sedition. The misuse of the provisions of sedition is often seen. Would it be better to abolish this provision? Give your answer with Justification. (250 Words)